# यू0पी0 नीट यू0जी0 2021 की ऑनलाइन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले आयुष (बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0) अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश

- यू0पी0 नीट आयुष (बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0) यू0जी0 2021 की ऑनलाइन काउंसिलिंग शासन द्वारा नामित तकनीकी संस्था अपट्रान पावर ट्रॉनिक्स के सहयोग से निदेशक, आयुर्वेद, उ0प्र0 द्वारा करायी जा रही है। किसी भी अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति के स्तर पर लिये गये प्रवेश पूर्ण रूप से अवैध है, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक आयुर्वेद, उ0प्र0 का नहीं होगा।
- भारत सरकार द्वारा नामित संस्था के माध्यम से आयोजित नीट 2021 की परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थी ही यू0पी0 नीट आयुष (बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0) यू0जी0 2021 की काउंसिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह हैं।
- यू0पी0 नीट आयुष (बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0) यू0जी0 2021 के ऑनलाइन काउंसिलिंग की समय सारिणी एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं हेतु बेवसाइट **www.ugcounselling.ayushup.in** को देखते रहें।
- यू0पी0 नीट आयुष (बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0) यू0जी0 2021 की ऑनलाइन काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क रू0–2000/– मात्र ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से **"निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा, उ0प्र0" लखनऊ** के खाता में पंजीकरण अवश्य करायें। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस **(Non Refundable)** नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित तालिका में उल्लिखित धरोहर धनराशि **(Security money)** का **C.T.S.** बैंक ड्राफ्ट अभिलेखों के सत्यापन के समय जमा करना होगा।

| क्र0 सं0 | विवरण | धरोहर धनराशि (Security money) |
|---|---|---|
| 1 | राजकीय क्षेत्र के आयुष (बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0) पाठ्यक्रम की सीटों हेतु | रू0–10,000/–(शब्दों में) रूपये दस हजार मात्र |
| 2 | निजी क्षेत्र के आयुष (बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0) पाठ्यक्रम की सीटों हेतु | रू0–50,000/–(शब्दों में ) रूपये पचास हजार मात्र) |

- अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर धनराशि **(Security money)** का **C.T.S.** बैंक ड्राफ्ट **"निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा, उ0प्र0" लखनऊ** के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा तैयार एवं लखनऊ में देय हो, ही मान्य होगा। **Non C.T.S.** बैंक ड्राफ्ट किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा।
- धरोहर धनराशि **(Security money)** किसी भी दशा में शिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जायेगी।
- सभी अभ्यर्थियों से विशेष रूप से अपेक्षा की जाती है कि यू0पी0 नीट आयुष (बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0) यू0जी0 2021 का शासनादेश दिनॉक 10 दिसम्बर, 2021 एवं विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) विभाग की बेवसाइट **www.ugcounselling.ayushup.in** पर उपलब्ध है को डाउनलोड कर हार्डकॉपी प्रिन्ट करके भली–भॉति अध्ययन करने के पश्चात् ही अपना ऑनलाइन फार्म भरें।
- निजी क्षेत्र के आयुष (बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0) में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित कालेज के बारे स्वयं अथवा उनक अभिभावक सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाइस लॉक करें।
- निजी क्षेत्र के आयुष (बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0) कालेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि कालेजों द्वारा लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क जो

काउंसिलिंग की बेवसाइट **www.ugcounselling.ayushup.in** पर उपलब्ध है का अवलोकन करने के पश्चात् ही च्वाइस लॉक करें।

- काउंसिलिंग हेतु निर्धारित समय सारिणी के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी क्षेत्र के आयुष (बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0) कालेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन च्वाइस भरी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्हीं कालेजों की च्वाइस भरी जाये जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग के पश्चात् च्वाइस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाइस लॉक न करने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रक्रिया से स्वतः बाहर हो जायेगा।
- अभ्यर्थी को सीट आवंटन के पश्चात् कालेज/पाठयक्रम में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश न लेने की स्थिति में जमा की गयी धरोहर धनराशि **(Security money)** जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि **(Security money)** जमा करनी होगी।
- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय उनका **अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिनॉक 01.04.2021 अथवा इसके पश्चात् का** बना होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
- **अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है DigiLocker अथवा अन्य माध्यमों से अभिलेखों का सत्यापन नही किया जायेगा।**
- छात्र/जनहित में उपरोक्त मार्गदर्शन बेवसाइट पर अपलोड किये जा रहे हैं, जिससे अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों की समस्त जिज्ञासाओं का समाधान किया गया है। अतएव आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त दिशा निर्देशों शासनादेश एवं ब्रोशर में उल्लिखित नियम/शर्ते/प्रतिबन्ध के अवलोकनोपरान्त कोई ऐसी विशेष समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में ही हेल्पलाइन नं0 का प्रयोग किया जाये।
- काउंसिलिंग हेतु समस्त प्रपत्र वेबसाईट पर उपलब्ध **चेक लिस्ट** के आधार पर संलग्न कर ही काउंसिलिंग स्थल पर उपस्थित हो।